



Neutral Citation-2026: AHC:20643

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या – 2866 / 2026

प्रभाकर त्रिपाठी और एक अन्ययाचिकाकर्तागण
बनाम
उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य.प्रतिवादीगण

याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता: अनिल कुमार

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति, प्रकाश पाडिया,

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान स्थायी अधिवक्ता की दलीलें सुनीं तथा अभिलेख का अवलोकन किया।

2. प्रस्तुत याचिका में याचिकाकर्ताओं द्वारा मांगी गई मूल राहत यह है कि प्रतिवादी संख्या 2/अपर जिला मजिस्ट्रेट (भू-राजस्व), गोरखपुर को निर्देश दिया जाए कि वे वाद संख्या 5360/2025 (कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या D202505310005360) का शीघ्रतापूर्वक निस्तारण करें।

3. यह मामला काफी लंबे समय से विचारण न्यायालय में लंबित है और काफी समय बीत चुका है, लेकिन आज तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

4. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, इस याचिका का निपटारा इस निर्देश के साथ किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 2/अपर जिला मजिस्ट्रेट (भूमि राजस्व), गोरखपुर, उपर्युक्त मामले का निर्णय कानून के अनुसार सख्ती से करें और, जब तक कोई कानूनी बाधा न हो, तब तक अनावश्यक स्थगन न दें।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)
29 जनवरी 2026
सकलैन

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"